जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद–चित्रकूट में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक–16.06.2026 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः–

उक्त आयोजित बैठक मे निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहेः–

1. श्री स्वप्निल कुमार, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) चित्रकूट।
2. श्री अनिल कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग जल जीवन मिशन चित्रकूट।
3. श्री करूणाकर सिंह, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
4. समस्त सहायक अभियंता/समस्त जूनियर इंजीनियर, उ0प्र0जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
5. समस्त सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
6. श्री चन्द्रशेखर गिरि, डिप्टी टीम लीडर, टी0पी0आई0 सेन्सिस टेक लि0, चित्रकूट।
7. श्री प्रोबिन्स कटियार, प्रोजेक्ट मैनेजर, एल0एण्ड0टी0, चित्रकूट।
8. श्री एस0 मौर्या, डी0पी0एम0, कार्यदायी संस्था जी0वी0पी0आर0, चित्रकूट।
9. श्री कुलजीत, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स विद्युत कुमार जैन, कुन्दन भवन लखनऊ।
10. श्री सुशील द्विवेदी, प्रतिनिधि, मैसर्स संतोष कुमार द्विवेदी, जगदीशगंज कर्वी, चित्रकूट।
11. श्री महेन्द्र दीक्षित, डिस्ट्रिक्ट हेड, मैसर्स ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0, महाराष्ट्र।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित नोडल विभाग (जल जीवन मिशन) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) श्री अनिल कुमार एवं अधिशासी अभियन्ता, (वि0/या0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) श्री करूणाकर सिंह, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेन्सी सेंसिस टेक लि0 (TPI) के डिप्टी टीम लीडर, टी0पी0आई0 सेन्सिस टेक लि0चित्रकूट तथा कार्यदायी संस्था–(L&T)के प्रोजेक्ट मैनेजर, श्री प्रोबिन्स कटियार, कार्यदायी संस्था–(GVPR) इंजीनियर्स लि0 के डी0पी0एम0 श्री एस0 मौर्या से जनपद चित्रकूट में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन सिलौटा मुस्तकिल व चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना, रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना तथा रेट्रोफिटिंग व पुनर्गठन पेयजल योजनाओं (पैकेज संख्या–01 ,02 एवं 03) व मऊ ग्राम समूह पेयजल योजना, बरगढ, परदवां, कोल्हुवामाफी पेयजल योजना के विभिन्न कम्पोनेंट्स पर किये गये कार्यो की भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। उक्त बैठक मे निर्माणाधीन परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति से अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया–

सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना

कार्यदायी संस्था	लार्सन एण्ड टूब्रों
कार्य लागत (संचालन और रख–रखाव सहित)	Rs. 213.59 Cr.
प्रारम्भ दिनांक/समाप्ति दिनांक	21-09-2020 / 30-09-2024
अनुबन्ध संख्या/दिनांक	20/ED/2020-21 DT-20/09/2020
संचालन और रख–रखाव समय	10 Yr.
पानी का स्त्रोत	यमुना नदी
आच्छादित ब्लाक	मानिकपुर और रामनगर
ग्राम पंचायत	33
ग्राम पंचायत/अच्छादित ग्राम	59
आच्छादित जनसंख्या (2021)	125340
आच्छादित जनसंख्या (2051)	209750

कम्पोनेंट	कुल कम्पोनेंट्स	कार्य की प्रगति	प्रगति प्रतिशत
इण्टेकवेल	1(24 MLD)	1 (क्रियाशील)	100.00%
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	1(22 MLD)	1 (क्रियाशील)	100.00%
ओवरहेड टैंक	17	17 (क्रियाशील)	100.00%
ओवरहेड टैंक(functional)	17	17	100.00%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर	6	6 (क्रियाशील)	100.00%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर(functional)	6	6	100.00%
कुल पाइप लाइन	576.55 कि0मी0	576.55 कि0मी0	100.00%
तोड़ी गई सड़क/पुनर्स्थापन की गई सड़क	60.00 कि0मी0	57.37 कि0मी0	95.61%
रोड रेस्टोरेशन वाले ग्रामो की संख्या	59	56	94.91%
गृह नल संयोजन संख्या	11925	11925	100.00%
नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों की संख्या	59	59	100.00%
हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों की संख्या	59	59	100.00%
भौतिक प्रगति	-	-	100.00%
वित्तीय प्रगति	213.59	209.39	98.03%

चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना

कार्यदायी संस्था	लार्सन एण्ड टूब्रों		
कार्य लागत (संचालन और रख–रखाव सहित)	Rs. 959.75 Cr.		
प्रारम्भ दिनांक/समाप्ति दिनांक	21-09-2020 / 30-09-2024		
अनुबन्ध संख्या/दिनांक	20/ED/2020-21 DT-20/09/2020		
संचालन और रख–रखाव समय	10 Yr.		
पानी का स्त्रोत	यमुना नदी		
आच्छादित ब्लाक	कर्वी, पहाडी, मानिकपुर		
ग्राम पंचायत	214		
ग्राम पंचायत/अच्छादित ग्राम	286		
आच्छादित जनसंख्या (2021)	490880		
आच्छादित जनसंख्या (2051)	788480		
कम्पोनेंट	कुलकम्पोनेंट्स	कार्य की प्रगति	प्रगतिप्रतिशत
इण्टेकवेल	1(103 MLD)	1(क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर)	95.00%
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	1(98 MLD)	1(क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर)	95.00%
ओवरहेड टैंक	91	91	98.90%
ओवरहेड टैंक(functional)	91	86 (क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर)	94.50%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर	20	20	100.00%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर(functional)	20	20	100.00%
कुल पाइप लाइन	3038.38 कि0मी0	2592.60 कि0मी0	85.32%
तोड़ी गई सड़क/पुनर्स्थापन की गई सड़क	304.52 कि0मी0	222.35 कि0मी0	73.01%
रोड रेस्टोरेशन वाले ग्रामो की संख्या	286	192	67.13%
गृह नल संयोजन संख्या	85767	74630	87.01%
नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों की संख्या	286	190	66.43%
हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों की संख्या	286	104	36.36%
भौतिक प्रगति	-	-	83.82%
वित्तीय प्रगति	959.75	771.88	80.43%

रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना

कार्यदायी संस्था	जी०वी०पी०आर० इंजीनियर्स
कार्य लागत (संचालन और रख–रखाव सहित)	Rs. 303.32 Cr.
प्रारम्भ दिनांक/समाप्ति दिनांक	26-09-2020/ 30-09-2024
अनुबन्ध संख्या/दिनांक	15/ED/2020-21 DT 26-09-2020
संचालन और रख–रखाव समय	10 Yr.
पानी का स्त्रोत	गुन्ता बांध
आच्छादित ब्लाक	मानिकपुर
ग्राम पंचायत	51
ग्राम पंचायत/अच्छादित ग्राम	68
आच्छादित जनसंख्या (2021)	169130
आच्छादित जनसंख्या (2051)	263150

कम्पोनेंट	कुल कम्पोनेंट्स	कार्य की प्रगति	प्रगति प्रतिशत
इण्टेकवेल	1 (32 MLD)	1(क्रियाशील)	100.00%
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	1 (29 MLD)	1(क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर)	97.00%
ओवरहेडटैंक	28	27 पूर्ण 01 (कार्य प्रगति पर)	96.42%
ओवरहेड टैंक(functional)	28	25	89.00%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर	11	11	100.00%
क्लीयर वाटर रिजर्वायर(functional)	11	11	100.00%
कुल पाइप लाइन	882.38 कि0मी0	855.29 कि0मी0	96.92%
तोड़ी गई सड़क/पुनर्स्थापन की गई सड़क	97.77 कि0मी0	80.93 कि0मी0	83.34%
रोड रेस्टोरेशन वाले ग्रामो की संख्या	68	60	88.23%
गृह नल संयोजन संख्या	19570	17670	90.29%
नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों की संख्या	68	65	95.58%
हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों की संख्या	68	51	75.00%
भौतिक प्रगति	-	-	91.03%
वित्तीय प्रगति	303.32	236.08	77.83%

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कम्पोनेन्टों पर कार्यरत मैंनपावर का विवरण

Manpower Deployed for Jal Jeevan Mission district Chitrakoot on dated														15-06-2026	
S No.	Descriptions	Silauta Mustakil				Chandi Banger				Raipura WSS					
		Required Team	Deployed Team	Required Manpower	Deployed Manpower	Required Team	Deployed Team	Required Manpower	Deployed Manpower	Required Team	Deployed Team	Required Manpower	Deployed Manpower		
1	INTAKE	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	0		
2	WTP	0	0	2	0	2	1	5	5	1	1	5	54		
3	CWR & PH	2	1	10	5	6	2	30	10	2	2	10	10		
4	OHT	3	1	5	5	11	8	55	40	5	5	25	20		
5	PIPELINE	4	0	4	0	60	40	75	55	43	28	45	35		
6	Gap Closing			5	0			51	15			40	25		
7	Leakages			7	0			50	15			32	25		
8	COMMISSIONING			5	0			40	39			40	30		
9	Road Restoration	1	0	5	0	10	4	75	20	8	3	40	15		
10	FHTC	1	1	4	3	6	2	48	16	5	4	15	10		
	Total	11	3	47	13	96	57	429	215	65	43	257	175		

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्म के द्वारा सभी कम्पोनेन्टों पर आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगायी गयी है जिसके कारण उपरोक्त परियोजनाओं की कमीशनिंग, नियमित जलापूर्ति "हर घर जल" प्रमाणीकरण इत्यादि कार्यो की भौतिक प्रगति अत्यन्त धीमी एवं खराब है। जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनकहै। समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था-(L&T) के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री प्रोबिन्स कटियार, कार्यदायी संस्था-(GVPR) इंजीनियर्स लि0 के डी0पी0एम0 श्री एस0 मौर्या को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने परियोजनाओं से सम्बन्धित इण्टेकवेल, WTP, CWRs, OHTs पाइपलाइन एवं गैप क्लोजिंग/होने वाले लीकेज, हाउस कनेक्शन, ग्रामों की कमीशनिंग, रोस्टवार नियमित जलापूर्ति, हर घर जल प्रमाणीकरण इत्यादि उपरोक्त अवशेष कार्यो के दृष्टिगत दोनों कार्यदायी संस्था (L&T/ GVPR) को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता के साथ (24x7) दिन-रात्रि कार्य कराने की आवश्यकताहै।

फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्य योजना के अनुसार अवगत कराया गया है कि योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को दिनांक-30.06.2026 तक पूर्ण कराते हुये ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी, इसी प्रकार फर्म जी0वी0पी0आर0 के डी0पी0एम0 के द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्य योजना के अनुसार अवगत कराया गया है कि योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को दिनांक-30.06.2026 तक पूर्ण कराते हुये ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) एवं अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत यान्त्रिकी) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को समस्त कार्यो की गहनता से जांच व सघन पर्यवेक्षण करते हुये पूर्ण कराने के निर्देश दियें गये। निर्देशित किया गया कि वह टी0पी0आई0 सहित अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स व कार्मिकों को उपरोक्त परियोजनाओं के निर्माणाधीन घटक के कार्यस्थलों पर भेजकर सिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल के कार्यो पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामाग्रियों की क्वालिटी/गुणवत्ता की जांच कराते हुये मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें व स्वयं भी स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों को अपनी निगरानी में गुणवत्तापूर्ण ससमय करायें।

रेट्रोफिटिंग व पुर्नगठन परियोजनायें

क0 सं0	योजना का नाम	योजनाओ की संख्या	ग्रामों की संख्या	सी0डब्लू0 आर0 (नग) (प्रगति/लक्ष्य)	ओ0एच0 टी0 (नग) (प्रगति/लक्ष्य)	पाइप लाइन (प्रगति/लक्ष्य) (कि0मी0 में)	गृह जल संयोजन (नग) (प्रगति/लक्ष्य)	हर घर जल प्रमाणित / नियमित जलापूर्ति हो रहे ग्रामों की संख्या	रोड़ रेस्टोरेशन पूर्ण ग्रामों की संख्या	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
1	रेट्रोफिटिंग एवं पुर्नगठन पेयजल योजना (पैकेज संख्या–01)	12	16	11/11	05/05	120.06/120.06	9109/9358	10/16	10	97.40 प्रतिशत	42.00 प्रतिशत
2	रेट्रोफिटिंग एवं पुर्नगठन पेयजल योजना (पैकेज संख्या–02)	14	14	13/13	07/07	99.28/103.66	4161/6122	8/9	8	90.40 प्रतिशत	36.00 प्रतिशत
3	रेट्रोफिटिंग एवं पुर्नगठन पेयजल योजना (पैकेज संख्या–03)	10	10	10/10	05/05	75.06/83.19	4557/9355	6/7	6	80.00 प्रतिशत	29.00 प्रतिशत
4	रेट्रोफिटिंग मऊ ग्राम समूह पेयजल योजना	04	11	8/8	02/02	78.60/93.55	2730/4215	10/10	10	70.50 प्रतिशत	22.00 प्रतिशत
5	रेट्रोफिटिंग वरगढ़ ग्राम समूह पेयजल योजना	03	9	9/9	0/0	68.50/73.64	2744/2941	8/8	8	75.13 प्रतिशत	40.00 प्रतिशत
6	कोल्हुवामाफी एवं परदवां पेयजल योजना	02	4	0/0	04/04	11.40/12.75	492/850	1/1	1	84.13 प्रतिशत	18.00 प्रतिशत
	योग	45	64	51/51	23/23	453.00/486.85	23793/32841	43/51	43	82.92 प्रतिशत	31.16 प्रतिशत

विद्युत कनेक्शन की अद्यतन स्थिति एवं विद्युत आपूर्ति से प्रभावित सी0डब्लू0आर0 का विवरण

क0 सं0	योजना का नाम	कुल विद्युत संयोजनों की संख्या	प्राप्त विद्युत संयोजनों की संख्या	अवशेष	टिप्पणी
1	सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना	07	07	00	—
2	चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना	21	21	00	योजनान्तर्गत गडौली, भानपुर, चनहट एवं कुसेली सी0डब्लू0आर0 पर अनियमित विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने एवं रोस्टर टाइम निर्धारित नहीं होने के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है।
3	रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना	13	13	00	योजनान्तर्गत मानिकपुर रूरल फीडर से कनेक्ट 05 नग कमशः पटा, सरहट, चूल्ही, भेंडा एवं टिकरिया सी0डब्लू0आर0पर अनियमित विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने एवं रोस्टर टाइम निर्धारित नहीं होने के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है। तात्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत सरहट सी0डब्लू0आर0 को मानिकपुर टाउन फीडर से जोड दिया गया है, जिसमें लगभग 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो रही है एवं पटा सी0डब्लू0आर0 को कल्याणपुर फीडर से जोड दिया गया है, जिसके कारण ट्रिपिंग एवं पावर कट की समस्या कम हो गयी है।
4	रेट्रोफिटिंग पैकेज संख्या–01	12	10	02	
5	रेट्रोफिटिंग पैकेज संख्या–02	14	10	04	
6	रेट्रोफिटिंग पैकेज संख्या–03	10	09	01	

नोटः— 1–विद्युत विभाग द्वारा रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत पटा एवं सरहट सी0डब्लू0आर0 पर स्वतंत्र फीडर निर्माण हेतु 118.34 लाख का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है।

2–पूर्व में विद्युत विभाग को रेट्रोफिटिंग के कनेक्शन मद में 83.07 लाख एवं जे0जे0एम0 फेज–1 के मद में 111.44 लाख का भुगतान किया गया था, जिसका यू0सी0कर्वी डिवीजन द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें रू0 9.31 लाख की बचत हो रही है।

आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से प्राप्त लम्बित शिकायतों का विवरण

माह	प्राप्त संदर्भों की संख्या	निस्तारित संदर्भों की संख्या	लम्बित संदर्भों की संख्या	फीडबैक लिये गये संदर्भों की संख्या	संतुष्ट फीडबैक संदर्भों की संख्या	असंतुष्ट फीडबैक संदर्भों की संख्या	संतुष्ट फीडबैक का प्रतिशत
मार्च	409	409	0	339	189	150	55.75%
अप्रैल	1620	1620	00	827	536	291	64.81%
मई	1553	387	698	712	494	218	69.38%
जून (01 से 15 तक)	692	55	616	349	217	132	62.18%

	FIRM WISE IGRS DETAILS	
SR NO.	**FIRM NAME**	**TOTAL NO. OF COMPLAINTS**
1	L&T	846
2	GVPR	231
3	EAGLE	139
4	JWIL	110
Total		**1326**

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा संज्ञानित कराया गया कि जल निगम की रेट्रोफिटिंग परियोजना अन्तर्गत पैकेज–01, 02, व 3, मऊ परियोजना, बरगढ़ परियोजना, परदवां परियोजना, कोल्हुवामाफी परियोजना, के CWRs, OHTs पाइप लाइन तथा हाउस कनेक्शन के कार्यो की प्रगति काफी धीमी एवं खराब है। लक्ष्य के अनुरूप मैनपावर एवं मशीनरी नही लगायी जा रही है। उपरोक्त अवशेष कार्यो के दृष्टिगत कार्यदायी संस्थाओं को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता से (24x7) दिन–रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है। ताकि उपरोक्त कार्यो को ससमय पूर्ण किया जा सके। साथ ही साथ समीक्षा बैठक में उपस्थित थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सेरिसंस टेक लि0 के डिप्टी टीम लीडर एवं नोडलविभाग जल निगम के अधिशासी अभियन्ता एवं समस्त सहायक अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि उक्त परियोजना के सभी ग्रामों के कार्यस्थलों पर नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए उपरोक्त घटकों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामाग्रियों का मानक के अनुरूप क्वालिटी/गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यो मे भौतिक प्रगति बढाये जाने के पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता उपरोक्त सभी कार्यो का निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग करने के सख्त निर्देश दिये गये।

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक–18.12.2025 को प्रबंध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ एवं अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं के अन्तर्गत जिन एजेन्सियों के द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 100 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली गयी है एवं अनुरक्षण एवं संचालन/ट्रायल एण्ड रन का कार्य प्रारम्भ हो गया है, उन योजनाओं एवं एजेन्सियों के भुगतान को वरीयता दी जायेगी। जिसके क्रम में समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित योजनाओं के अन्तर्गत अवशेष समस्त कार्यो को पूर्ण कराते हुये योजना का ट्रायल एण्ड रन सफलतापूर्वक पूर्ण कराकर योजनाओं का अनुरक्षण एवं संचालन कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

परियोजनाओं की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गये:–

1. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को निर्देश दिये गये कि पूर्व निर्धारित सूचना के बावजूद मैसर्स विद्युत कुमार जैन लखनऊ (रेट्रोफिटिंग पैकेज संख्या–01), मैसर्स शिवा एसोसिएट्स गोरखपुर (बरगढ़ ग्राम समूह पेयजल योजना), मैसर्स भारतीय इंजीनियर्स, अलीगढ़ (मऊ ग्राम समूह पेयजल योजना) एवं मैसर्स ए0आर0 कन्सट्रक्शन कम्पनी बांदा (कोल्हुवामाफी एवं परदवां पेयजल योजना) के द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं किये जाने के कारण कारण बताओ नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिये गये। साथ ही निर्देशित किया गया कि आगामी बैठकों में समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधि निश्चित रूप से समस्त अद्यतन सूचनाओं सहित प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
2. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), चित्रकूट एवं अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ की जा रही है उन ग्रामों का प्रचार–प्रसार सोशल मीडिया, प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें एवं मा0 जनप्रतिनिधियों (मा0सांसद, मा0 विधायक, मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष, मा0 अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख एवं ग्राम प्रधान) की उपस्थिति में ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्ययोजना के अनुसार योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को दिनांक–30.09.2026 तक पूर्ण कराते हुये ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी, इसी प्रकार फर्म जी0वी0पी0आर0 के डी0पी0एम0 के द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्य योजना के अनुसार योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को दिनांक–30.06.2026 तक पूर्ण कराते हुये ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी परन्तु योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु फर्मों के द्वारा पर्याप्त मैनपावर नहीं लगायी गयी है, जिससे अवशेष कार्य समयान्तर्गत पूर्ण नहीं हो पायेगा। जिसके क्रम में अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), चित्रकूट को निर्देश दिये गये कि फर्म एल0एण्ड0टी0 एवं फर्म जी0वी0पी0आर0 के स्टेट हेड को नोटिस निर्गत करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों, समस्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/टी0पी0आई0 के साइट इंजीनियरों को निर्देश दिए गए कि समस्त योजनाओं के अंतर्गत जिन ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ हो गयी है, उन ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी सड़क मार्गों के पुर्नस्थापन के कार्यों को पर्याप्त मैनपावर एवं मशीनरी लगाते हुये प्राथमिकता पर जून, 2026 तक शत–प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिसकी ग्रामवार कार्ययोजना प्रत्येक दशा में 02 दिवस के अंदर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) चित्रकूट कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं डिप्टी टीम लीडर, टी0पी0आई0 सेन्सिस टेक लि0, चित्रकूट को निर्देश दिये गये कि रोड रेस्टोरेशन कार्यों को स्वयं या टी0पी0आई0 के इंजीनियरों की उपस्थिति में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
5. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), चित्रकूट, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट एवं अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, वि0/या0, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को निर्देश दिये गये कि चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना, सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत समस्त सी0डब्लू0आर0 पर सेपरेट फीडर की आवश्यकता है, के सम्बन्ध में विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये एवं प्राक्कलन प्राप्त कर प्राक्कलन की धनराशि को सम्मिलित करते हुये योजनाओं के पुनरीक्षित बी0ओ0क्यू0 मुख्यालय स्तर पर यथाशीघ्र प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
6. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), चित्रकूट को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ की जा रही है उन ग्रामों का रेण्डम आधार पर सत्यापन किये जाने हेतु टीम नामित करते हुये दूरभाष के माध्यम से ग्रामीणों से पेयजल आपूर्ति का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को निर्देश दिये गये कि नियमित जलापूर्ति हो रहे ग्रामों की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत प्रतिदिन 02 ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।
8. रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत जिन मजरों में पेयजल आपूर्ति वर्तमान तक प्रारम्भ नहीं की गयी है, उनका कारण सहित मजरेवार विवरण एवं पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कराये जाने का विवरण डी0पी0एम0, जी0वी0पी0आर0 को एक सप्ताह के अंदर खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
9. फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर एवं फर्म जी0वी0पी0आर0 के डी0पी0एम0 को निर्देश दिये गये कि आगामी ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में डी0जी0 संचालित करते हुये पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाये एवं अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को निर्देशित किया गया कि फर्मो के द्वारा डी0जी0 संचालन करते हुये पेयजल आपूर्ति की निरन्तर मानिटरिंग करना सुनिश्चित करें।
10. फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर एवं फर्म जी0वी0पी0आर0 के डी0पी0एम0 को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत समस्त स्काडा/आटोमेशन के अवशेष कार्यों को जून, 2026 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराते हुये रिपोर्ट खण्ड कार्यालय (वि0/या0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कार्यालय चित्रकूट में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), चित्रकूट कार्यालय में कार्य योजना 02 दिवस के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत गडौली, भानपुर, चनहट एवं कुसेली सी0डब्लू0आर0 पर एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत मानिकपुर रूरल फीडर से कनेक्ट 05 नग क्रमशः पटा, सरहट, चूल्ही, भेंडा एवं टिकरिया सी0डब्लू0आर0 पर अनियमित विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने एवं रोस्टर टाइम निर्धारित नहीं होने के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है। इसके संबंध में अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड राजापुर एवं चित्रकूट को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समस्त लोकेशंस पर आवश्यक विद्युत आपूर्ति हेतु सेपरेट फीडर का प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को उपलब्ध कराया जाये एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड राजापुर एवं कर्वी को निर्देशित किया गया कि योजनाओं के संचालन हेतु पर्याप्त विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करायें।
12. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आई0जी0आर0एस0, ग्रीवियान्स, जनप्रतिनिधियों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक एवं निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारण सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं किया जाता है जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों को निर्देश दिए गए कि योजनान्तर्गत आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भो का गुणवत्तापूर्ण समयान्तर्गत निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी शिकायत की गुणवत्तामानक के अनुरूप नहीं होने एवं डिफाल्टर श्रेणी में आने की स्थिति में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों, सहायक अभियन्ताओं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। समीक्षा बैठक मे उपस्थित सभी कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजनर/टीम लीडर्स को निर्देशित किया गया कि अपने परियोजना क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार की शिकायतें ऑफलाइन/ऑनलाइन आई.जी.आर.एस. सन्दर्भो का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये तथा योजनान्तर्गत समस्त कार्यदाई संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/ठेकेदारो एवं जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियन्ताओं को कड़े निर्देश दिए गए कि डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड पोर्टल पर प्रदर्शित असंतुष्ट फीडबैक संदर्भो ऑफलाइन/ऑनलाइनआई.जी.आर.एस. सन्दर्भो का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये। आई0जी0आर0एस0 संदर्भों के निस्तारण का संतुष्टि फीडबैक 80 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। साथ ही ओ0एण्ड0एम0 एजेन्सी के डिस्ट्रिक्ट हेड को निर्देश दिये गये ओ0एण्ड0एम0 योजनाओं के अन्तर्गत आई0जी0आर0एस0 संदर्भों के निस्तारण का संतुष्टि फीडबैक 90 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग करने के निर्देश दिये गये।
13. समस्त निर्माणाधीन एवं रेट्रोफिटिंग/पुर्नगठन पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने के लिए फर्म द्वारा माइक्रोप्लान प्रस्तुत किया जाए और उसी के आधार पर योजना के समस्त कार्यो (ओ0एच0टी0, सी0डब्लू0आर0, इंटेकवेल, डब्लू0टी0पी0, पाइप लाइन, गृह जल संयोजन, रोड रेस्टोरेशन नियमित जलापूर्ति एवं हर घर जल प्रमाणीकरण) को पूर्ण कराया जाए।
14. समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि जनपद अन्तर्गत समस्त सरकारी स्कूल, आंगनबाडी केन्द्रों, पंचायत भवन, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 आदि समस्त सरकारी भवनों में स्टैण्ड पोस्ट/हाउस कनेक्शन के माध्यम से पेयजल से आच्छादित करना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/टी0पी0आई0 के साइट इंजीनियरों को निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा उपरोक्त स्थलों पर कराये गये कनेक्शनों का सत्यापन कार्य पूर्ण करते हुये आख्या अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
15. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत रेलवे, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए पाइप लाइन बिछाने में आ रहे अवरोधों का निराकरण कराते हुए कार्य पूर्ण कराया जाए।
16. मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या–67/2024/2058/ छिहत्तर–1–2024/1636701, अपर मुख्य सचिव महोदय, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या–680/छिहत्तर–1–2026/1282975 दिनांक–25.03.2026 एवं प्रबंध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ के कार्यालय पत्रांक– 66/011–जे0जे0एम0/25 दिनांक–17.01.2025 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खुदाई से सम्बन्धित कार्य कराये जाने से पूर्व उक्त क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु बिछायी गयी पाइप लाइन की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली जाये, इसके उपरान्त ही खुदाई आदि का कार्य कराया जाये। अन्यथा की स्थिति में पाइप लाइन आदि की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के कार्य पर आने वाले व्यय का वहन/प्रतिपूर्ति सम्बन्धित विभाग के द्वारा ही किया जाना है किन्तु सम्बन्धित विभागों को प्राक्कलन प्रेषित किया गया है, परन्तु सम्बन्धित विभागों के द्वारा मरम्मत कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को निर्देश दिये गये कि विभागवार विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
17. जनपद में अनुरक्षण एवं संचालन पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित एजेन्सी मैसर्स ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 महाराष्ट्र एवं मैसर्स जे0डब्लू0आई0एल0, नई दिल्ली के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि अपने से सम्बन्धित ग्रामों में नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाये एवं नियमानुसार जल कर वसूली में प्रगति लायी जाये।

18. समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पाइप पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को "हर घर नल हर घर जल" के तहत सुरक्षित तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्लोरीनेशन उचित मात्रा में कियां जाये तथा नियमित अन्तराल पर पेयजल सैम्पल लेकर जल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाये। उपरोक्त कार्य को गम्भीरतापूर्वक किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलिता न बरती जाये। फर्म एल0एण्ड0टी0 एवं जी0वी0पी0आर0 को निर्देश दिये गये कि हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों में नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
19. समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि आगामी समीक्षा बैठकों में फर्म के समस्त सम्बन्धित साइट इंजीनियर/इंजीनियर प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे।

इसके अतिरिक्त उक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था (L&T)/ (GVPR)इंजीनियर्स लि0 के प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर तथा जल निगम के समस्त ठेकेदारों को अपने-अपने परियोजना से आच्छादित घटकवार अवशेष कार्यों को समयबद्व तरीके से पूर्ण किये जाने हेतु कार्यस्थलों में अतिरिक्त मैनपावर/टीम/मशीनरी की तैनाती करते हुए समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर समस्त ग्रामों में नियमित शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराना एवं गुणवत्तापरक रोड रेस्टोरेशन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियन्ता सिविल/विद्युत यान्त्रिकी एवं (TPI) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि स्वयं व अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स के माध्यम से नियमित रूप से फील्ड भ्रमण कर प्रतिदिन की जी.पी.एस.फोटोग्राफ्स/रिपोर्ट की आख्या जे0जे0एम0 वाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित करने के साथ-साथ परियोजनाओं के लम्बित कार्यो की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग कर ससमय कार्य गुणवत्तापूर्वक कराते हुए योजनाओ के सफल क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश के साथ सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(पुलकित गर्ग)
जिलाधिकारी
चित्रकूट

कार्यालय जिलाधिकारी चित्रकूट

संख्या 943 / ज0-19 /2026 / 110 दिनांक 18/7/2026

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव महोदय, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
5. मुख्य अभियन्ता, (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) उ0प्र0जल निगम (ग्रामीण) झांसी।
6. मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट।
7. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), चित्रकूट।
8. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
9. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग चित्रकूट/अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/यॉ0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. समस्त सहायक अभियन्ता, सिविल/मैकनिकल इंजीनियर (SWSM) को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
11. डिप्टी टीम लीडर, थर्ड पार्टी इंपेक्शन (टी0पी0आई0), सेन्सिस टेक लि0 चित्रकूट को अनुपालनार्थ।
12. क्लस्टर हेड/स्टेट हेड, कार्यदायी संस्था L&T/GVPRको आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
13. प्रोजेक्ट मैनेजर/डी0पी0एम0 कार्यदायी संस्था L&T/GVPRको अनुपालनार्थ।
14. समस्त ठेकेदार, रेट्रोफिटिंग पैकेज-1,2,3, मऊ व बरगढ, परदवां एवं कोल्हुवामाफी को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी
चित्रकूट